यह निरीक्षण प्रतिवेदन **प्रधानाध्यापक, राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, महतगाँव, चौखुटिया, अल्मोड़ा,** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया गया है। **प्रधानाध्यापक** द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

प्रधानाध्यापक, राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, महतगाँव,, चौखुटिया, अल्मोड़ा के अप्रैल 2013 से मार्च 2018 तक के लेखा अभिलेखों पर आधारित निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री सुनील दत्त, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, श्री मुकेश कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री जतिन राणा, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी (तदर्थ) द्वारा दिनांक दिनांक 16.10.2018 से 22.10.2018 तक श्री एस॰के॰ वर्मा, लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

(i) परिचयात्मकः इकाई की प्रथम लेखापरीक्षा है, वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 04/2013 से 03/2018 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

(ii) **इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्र : राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, महतगाँव, चौखुटिया** का भौगोलिक क्षेत्र महतगाँव, विकास खंड, चौखुटिया है, इसका क्रियाकलाप विकास खंड स्तर पर माध्यमिक शिक्षा से जुड़े हैं ।

(अ) **विगत पाँच वर्षों में बजट आवंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः**

(₹ लाख मे)

वर्ष	लेखा शीर्ष / योजना का नाम	आवंटन	व्यय	व्यय अधिक्य (+)	बचत (-)
2013-14	**2202** (1090300) (स्थापना, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, सर्व शिक्षा अभियान, मध्याहन भोजन योजना)	53.42[1]	52.22[2]	-	1.20
2014-15	**2202** (1090300)	61.85[3]	60.21[4]	-	1.64

[1] रु 50,46,500+1,22,307+40,463+1,32,491= रु 53,41,761/-

[2] रु 49,74,777+1,21,279+31,048+94,654= रु 52,21,758/-

[3] रु 58,96,450+75,667+45,873+1,67,190= रु 61,85,180/-

[4] रु 58,10,286+74,989+43,008+93,020=रु 60,21,303/-

	(स्थापना,राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, सर्व शिक्षा अभियान, मध्याह्न भोजन योजना)				
2015-16	**2202** (1090300) (स्थापना,राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, सर्व शिक्षा अभियान, मध्याह्न भोजन योजना)	64.98[5]	61.41[6]	-	3.57
2016-17	**2202** (1090300) (स्थापना,राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, सर्व शिक्षा अभियान, मध्याह्न भोजन योजना)	46.86[7]	46.37[8]	-	0.49
2017-18	**2202** (1090300) (स्थापना,राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, सर्व शिक्षा अभियान, मध्याह्न भोजन योजना)	50.51[9]	49.41[10]	-	1.10
	योग	**277.62**	**269.62**	-	**8.00**

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

(₹ लाख मे)

वर्ष	योजना का नाम	प्राप्त		व्यय			बचत	
		GoI	State	GoI	State	Total	GoI	State
2013-14		शून्य----------------------						
2014-15								
2015-16								
2016-17								
2017-18								

(स) कार्यक्रम/योजना/परियोजना के क्रियान्वयन मे संलग्न समितियों एवं एन०जी०ओ का विवरण:

S.No	**Year**	**Name of Society/ NGO involved**	**Government expenditure through Society/NGO**
1	**2**	**3**	**4**
1	2015-16	शून्य--------------------	
2	2016-17		
3	2017-18		

5 रु 62,51,000+25,535+45,863+1,75,205= रु 64,97,603/-

6 रु 60,13,379+24,022+23,672+79,995= रु 61,41,068/-

7 रु 44,33,029+53,798+38,368+1,61,262= रु 46,86,457/-

8 रु 44,32,508+52,800+37,391+1,14,364= रु 46,37,063/-

9 रु 47,62,144+57,922+30,669+2,00,265= रु 50,51,000/-

10 रु 47,58,990+57,093+29,581+95,797= रु 49,41,461/-

(iii) इकाई को बजट का आवंटन राज्य सरकार के आवंटित निधि से मुख्य शिक्षा अधिकारी, अल्मोड़ा द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई “C” श्रेणी की है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा संलग्न है।

शिक्षा सचिव

महानिदेशक

निदेशक मा.शि. | निदेशक प्रा.शि.

अपर निदेशक मा.शि. (कुमाऊँ मण्डल/गढवाल मण्डल) | अपर निदेशक प्रा.शि. (कुमाऊँ मण्डल/गढवाल मण्डल)

जनपद-मुख्य शिक्षा अधिकारी | जनपद-मुख्य शिक्षा अधिकारी

जिला शिक्षा अधिकारी (मा.शि.) | जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा.शि.)

विकासखण्ड---- खण्ड शिक्षा अधिकारी | विकासखण्ड---- उप शिक्षा अधिकारी

प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या | प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका

(iv) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र **राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, महतगाँव, चौखुटिया, अल्मोड़ा** है जिसकी लेखा परीक्षा को नमूना लेखापरीक्षा द्वारा आच्छादित किया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, महतगाँव, चौखुटिया, अल्मोड़ा** उत्तराखंड की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह अप्रैल 2014 एवं फरवरी 2016 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया । इकाई का क्रियाकलाप माध्यमिक स्तर पर शैक्षणिक कार्य एवं शिक्षा के गुणवत्ता के उन्नयन हेतु प्रयास करना है।

(v) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971), लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

<u>भाग-II 'ब'</u>

प्रस्तर: 1 वित्तीय हस्तपुस्तिका के प्रावधानों के अनुसार रोकड़ बही का रखरखाव न किया जाना।

वित्तीय हस्तपुस्तिका खंड V भाग I के नियम 27- "क" के अनुसार प्रत्येक कार्यालय मे एक सामान्य रोकड़ बही का रखरखाव किया जाना चाहिए जिसमे सरकारी कर्मचारी द्वारा प्राप्त किए गए राजस्व, उसे कोषागार / बैंक मे प्रेषण तथा कोषागार / बैंक से वितरण किए जाने हेतु निकासी को अलग - अलग कालम मे इंदराज किया जाना चाहिए।

रोकड़ बही के पृष्ठों पर पृष्ठ संख्या अंकित की जानी चाहिए तथा प्रयोग से पहले उसके पृष्ठों की संख्या का सत्यापन कार्यालय के अध्यक्ष द्वारा किया जाना चाहिए।

इकाई की लेखापरीक्षा (अक्टूबर 2018) मे अभिलेखो की जांच मे देखा गया कि वित्तीय हस्तपुस्तिका के प्रावधानों के अनुपालन मे इकाई द्वारा रोकड़ बही का रखरखाव नहीं किया जा रहा था एवं लेखापरीक्षा अवधि 2013-14 से 2017-18 मे बिना रोकड़ बही के रु 277.62 लाख के लेखा का रखरखाव किया गया था ।

इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा तथ्यो को स्वीकार करते हुए बताया गया कि ऑन लाइन भुगतान होने के कारण वेतन भत्तों आदि का इंदराज नहीं किया जाता है आगे से नियमानुसार रोकड़ बही का रखरखाव किया जाएगा।

अतः रोकड़ बही के रखरखाव न किए जाने का तथ्य प्रकाश मे लाया जाता है।

<u>भाग-III</u>

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण:

क्रमांक	**प्रतिवेदन संख्या**	**भाग दो अ**	**भाग दो ब**	**नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी**
इकाई की यह प्रथम लेखापरीक्षा है				

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
इकाई की यह प्रथम लेखापरीक्षा है				

<u>भाग-IV</u>

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

---------------शून्य-----------

भाग-V

आभार:

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **प्रधानाध्यापक, राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, महतगाँव, चौखुटिया, अल्मोड़ा** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है।

1. **सतत् अनियमितताएः**

   -शून्य-

2. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया:**

क्रम सं0	नाम	पदनाम	अवधि
1。	श्री एम ए जैदी	प्रधानाध्यापक	30.07.2011 से 30.12.2015 तक
2。	श्री अतुल शाह	प्रभारी प्रधानाध्यापक	जनवरी से फरवरी 2016 तक
3。	श्री बी एस नेगी	प्रधानाध्यापक	मार्च से अप्रैल 2016 तक
4.	श्री कैलाश चन्द्र पांडे	प्रभारी प्रधानाध्यापक	मई 2016 से जुलाई 2017 तक
5.	श्री अनिल कुमार	प्रभारी प्रधानाध्यापक	अगस्त 2017 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **प्रधानाध्यापक, राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, महतगाँव, चौखुटिया, अल्मोड़ा,** उत्तराखंड को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उप महालेखाकार, (सामाजिक क्षेत्र), कार्यालय प्रधान महालेखाकर (लेखापरीक्षा) उत्तराखंड, “महालेखाकर भवन” कौलागढ़, देहरादून-248195 को प्रेषित कर दी जांय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/सा.क्षे.